न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/125 दायरा दिनांक : 17.07.2023

उनवान

1– अशोक पुत्र रामदयाल, जाति धाकड़
2– कल्याणी बाई पुत्री छोटूलाल, जाति धाकड़
3– गुड्डी बाई पुत्री रामदयाल, जाति धाकड़
4– घनश्याम पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड़
5– चन्द्रकला पुत्री रामदयाल, जाति धाकड़
6– जगदीश पुत्र छोटूलाल, जाति धाकड़
7– पंसुरी बाई पत्नी स्व0 रामदयाल, जाति धाकड़
8– लक्ष्मण पुत्र रामदयाल, जाति धाकड़
9– शांति पत्नी स्व0 छोटूलाल, जाति धाकड़
निवासीगण ग्राम मूण्डला, तहसील अटरू, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– गोपाल पुत्र रतनलाल, जाति धाकड़
2– विमला बाई पत्नी हेमराज, जाति धाकड़
3– कल्लीबाई पत्नी स्व0 दुर्गालाल, जाति धाकड़
4– मुकेश पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़
5– ममता पुत्री दुर्गालाल, जाति धाकड़
6– महेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़
7– रामदुलारी पत्नी नवलकिशोर, जाति खाती
8– सुगनीबाई पुत्री मदनलाल, जाति धाकड़
9– सुशीला पुत्री मदनलाल, जाति धाकड़
10– सोहनलाल पुत्र सीताराम, जाति धाकड़
11– भंवरलाल पुत्र केसर सिंह, जाति राजपूत
12– मोड सिंह पुत्र केसर सिंह, जाति राजपूत
13– बृजराज पुत्र छीतरलाल, जाति धाकड़
14– महेन्द्र कुमार पुत्र दुर्गालाल, जाति धाकड़
15– मनभर पत्नी मुकेश, जाति धाकड़
निवासीगण ग्राम मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां (राज0)
16– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री उमाशंकर गोस्वामी एवं श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 05.08.2024

5/8/2024
(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या – 211/2020 निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल मूंडला, तहसील अटरू, जिला बारां की खाता संख्या 316 कुल किता 1 रकबा 3.64 हेक्टर, खाता सं. 317 कुल किता 2 रकबा 5.11 हेक्टर, खाता सं. 318 कुल किता 2 रकबा 3.33 हेक्टर, खाता सं. 319 कुल किता 4 रकबा 2.16 हेक्टर, खाता सं. 320 कुल किता 3 रकबा 0.03 हेक्टर, खाता सं. 321 कुल किता 20 रकबा 8.88 हेक्टर तथा खाता सं. 204 कुल किता 1 रकबा 5.13 हेक्टर कुल खाता 7 कुल रकबा 28.28 हेक्टर आराजी के संबंध में पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 से वादीगण का वाद स्वीकार किया, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि हल्का पटवारी ने प्राथमिक डिक्री दिनांक 11.04.2022 की पालना में दिनांक 13.06.2022 को जो बंटवारा प्रस्ताव तैयार किया है वह अपीलांट्स के द्वारा चाहे गये अनुतोष के अनुसार नहीं किया गया है। अपीलांट ने जहां अपीलांट्स का कब्जा था, वहां कब्जे अनुसार वाद पत्र में अनुतोष चाहा था, उन्हीं खसरा नम्बर पर कब्जे अनुसार बंटवारा चाहा था, परन्तु हल्का पटवारी ने मनमानी कर अपीलांट के अनुतोष के आधार पर बंटवारा प्रस्ताव पारित नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर ही अंतिम डिक्री पारित कर दी है, जिससे अपीलांट सहमत नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व अंतिम डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट के मध्य आठ खाते संयुक्त खातेदारी में चले आ रहे हैं एवं उन आठों ही खातों विभाजन के लिये अधीनस्थ न्यायालय में पेश करना था जो कि क्रमशः निम्न है खाता नं. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 204 व 61 किन्तु टाईपिंग त्रुटि के कारण केवल सात खातों क्रमशः खाता नं. 316, 317, 318, 319, 320, 321, 204 हेतु ही वाद प्रस्तुत किया गया। खाता सं. 61 का वाद में हवाला नहीं दिया गया, कानूनन उसका भी बंटवारा होना चाहिए था एवं उन सात खातों का ही बंटवारा हुआ है एवं एक खाता रेस्पोडेंट और अपीलांट के मध्य विभाजन होने से छूट गया है इस तरह समस्त खातों का बंटवारा नहीं होने से पक्षकार संतुष्ट नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को लेकर सहमत भी नहीं है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री अपास्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय एवं डिक्री विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका में निहित तथ्यों के सर्वथा विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री केप्रिसियस, आर्बीट्रेरी एवं मनमाने तौर पर पारित किया है, उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने सी.पी.सी. के कानूनी प्रावधान आदेश 14 नियम 5 की पालना किये बिना ही बिना तनकीयात कायम किये ही कानून के खिलाफ जाकर निर्णय पारित किया है, उक्त कारण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 अपास्त फरमाया जावे।

5/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 05.07.2023 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सभी सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारा रिपोर्ट पटवारी व आई.एल.आर. ने तैयार की है जबकि नियमानुसार तहसीलदार को बनानी होती है। सभी को सुनकर बंटवारा रिपोर्ट नहीं बनायी। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। अतः हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

वाद पत्र के अध्ययन से प्रकट होता है कि वाद पत्र के पैरा संख्या 1 में खसरा नं. 317, 319 व 321 का कथन है। पैरा संख्या 1 के अलावा सम्पूर्ण वाद पत्र में कहीं भी खसरा नं. 317, 319 व 321 का उल्लेख नहीं है तथा ना ही इन खसरा नम्बर के सम्बन्ध में अनुतोष चाहा गया है। साक्ष्य सत्यनारायण, गोपाल, बृजराज शपथ पत्र व जिरह में खसरा नं. 317, 319 व 321 का उल्लेख नहीं होना प्रकट होता है। हमारी राय में मूल वाद में जिन खसरा नं. 317, 319 व 321 का उल्लेख नहीं है उनके संबंध में संशोधित निर्णय में अनुतोष प्रदान करना विधि के सर्वमान्य सिद्धांतों के विरूद्ध तथा त्रुटिपूर्ण है।

अधीनस्थ न्यायालय का प्रकरण गोपाल बनाम सरकार अशोक अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 में भी ग्राम मूण्डला की आराजी खसरा नं. 316, 317, 318, 319, 320, 321 व 204 के विभाजन के संबंध में निर्णित किया गया है। इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 2023/164 निर्णय दिनांक 21.05.2024 उनवान अशोक कुमार बनाम महेन्द्र में प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 20.10.2022 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 2023/164 निर्णय दिनांक 21.05.2024 उनवान अशोक कुमार बनाम महेन्द्र के साथ इस प्रकरण को भी कन्सोलीडेट करते हुए उभयपक्षकारों को साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 23.10.2024 को उपस्थित होवें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 5/8/2024

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा